भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

रिपोर्ट सं. 252

हिंदू पत्नी का भरण-पो-ण का अधिकार :
हिंदू दत्तक तथा भरण-पो-ण अधिनियम, 1956 की धारा 18 पर पुनर्विचार

जनवरी, 2015

न्यायमूर्ति अजित प्रकाश शहा
भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय
अध्यक्ष
भारत का विधि आयोग
भारत सरकार
हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
दूरभा-न : 23736758 फैक्स : 23355741

Justice Ajit Prakash Shah
Former Chief Justice of Delhi High Court
Chairman
Law Commission of India
Government of India
Hindustan Times House
K.G. Marg, New Delhi-110 001
Telephone : 23736758, Fax : 23355741

अ.शा. सं. 6(3)/265/2014-एल.सी.(एल.एस.) तारीख : 6 जनवरी, 2015

प्रिय श्री सदानन्द गौड़ा जी,

माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने **अवतार सिंह** बनाम **जसबीर सिंह** वाले मामले में तारीख 11.02.2014 को अपना आदेश पारित करते हुए यह इच्छा व्यक्त की कि इस निर्णय की एक प्रति भारत के विधि आयोग को ऐसी महिला जिसका पति उसका भरण-पो-ण करने में असमर्थ है, के भरण-पो-ण की स्वीकार्यता हेतु, हिंदू दत्तक तथा भरण-पो-ण अधिनियम, 1956 का संशोधन करने के लिए समुचित उपाय करने हेतु भेजी जाए । समिति ने वि-नय का व्यापक अध्ययन किया और हिंदू दत्तक तथा भरण-पो-ण अधिनियम के उपबंधों और शास्त्रीय हिंदू विधि सहित इस बावत सभी प्रासंगिक विधियों का विश्ले-ण किया । विस्तृत विश्ले-ण के पश्चात्, आयोग ने अपनी सिफारिशों को एक रिपोर्ट अर्थात् "हिंदू पत्नी का भरण-पो-ण का अधिकार : हिंदू दत्तक तथा भरण-पो-ण अधिनियम, 1956 की धारा 18 पर पुनर्विचार" शी-र्क से रिपोर्ट सं. 252 के रुप में तैयार की और यह सरकार के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की जाती है ।

सादर,

भवदीय
ह0/-
(अजित प्रकाश शहा)

श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा,
माननीय विधि और न्याय मंत्री,
भारत सरकार
शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110 001

निवास : 1, जनपथ, नई दिल्ली - 110001

हिंदू पत्नी का भरण-पो-ण का अधिकार : हिंदू दत्तक तथा भरण-पो-ण अधिनियम, 1956 की धारा 18 पर पुनर्विचार

वि-नय-सूची

क्र. सं.	शी-र्क	पृ-ठ
1.	प्रस्तावना	4
2.	हिंदू दत्तक तथा भरण-पो-ण अधिनियम की धारा 18 और धारा 19	6
3.	संयुक्त हिंदू कुटुम्ब और हिंदू सहदायिकी	7
4.	शास्त्रीय हिंदू विधि में भरण-पो-ण का अधिकार	8
5.	हिंदू दत्तक तथा भरण-पो-ण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	13

अध्याय 1
प्रस्तावना

1.1 माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा **अवतार सिंह** बनाम **जसबीर सिंह,** आर.एस.ए. सं. 29/1988 (ओ.एंड एम.) विनिश्चय तारीख 11.02.2014 वाले मामले में दिए गए विनिश्चय में विद्यमान विधि के अधीन हिंदू महिला की उसकी संपत्ति और भरण-पो-ण अधिकारों से संबंधित स्थिति में खामी पाई गई ।

1.2 उक्त मामले में, वादी ऐसे विकृत चित्त व्यक्ति की पत्नी थी जिसने अपने, अपने पति और श्वसुर से कुटुम्ब की भूमि में 1/4 अंश की मांग की थी । ग्राम पंचायत के समक्ष पारिवारिक समझौते के द्वारा उसके श्वसुर द्वारा उसे उक्त अंश दिया गया किंतु उसके श्वसुर और देवर द्वारा बलपूर्वक उसे जमीन से बेकाबिज कर दिया गया । चूंकि उक्त संपत्ति एक पारिवारिक समझौते के माध्यम से विकृतचित्त, उसके पुत्र और उसके परिवार को श्वसुर द्वारा स्वैच्छिकतः दी गई थी इसलिए ऐसी स्थिति में श्वसुर की विधिक बाध्यता से संबंधित विधि का सारवान प्रश्न नहीं उठाया गया और इस आधार पर मामले का विनिश्चय किया गया कि क्या ग्राम पंचायत के समक्ष उक्त पारिवारिक समझौते को विधिमान्यता प्रदान करने के लिए रजिस्ट्रीकृत किए जाने की अपेक्षा है । तथापि, मामले को समाप्त करने के पूर्व, विद्वान न्यायाधीश ने हिंदू पत्नियों की विधिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित मत व्यक्त किया :

> "निर्णय को समाप्त करने के पूर्व, यह उल्लेख करना उचित होगा कि पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा ऐसा कोई उपबंध हमारे ध्यान में नहीं लाया गया कि यदि पति पागल या विकृतचित्त है तो ऐसी पुत्र-वधू जिसके पास भरण-पो-ण का कोई स्रोत नहीं है, अपने लिए भरण-पो-ण का दावा कर सकती है । जब उसे अपने मानसिक रूप से बीमार पति का भरण-पो-ण करना हो तो उसकी स्थिति विधवा पुत्र-वधू से भी बदतर हो जाती है । ऐसी स्थिति में पत्नी को श्वसुर पर आश्रित और हिंदू दत्तक तथा भरण-पो-ण अधिनियम की धारा 19 के अधीन यथाउपबंधित भरण-पो-ण का हकदार समझा जाना चाहिए ।

अधिनियम में संशोधन करने के लिए समुचित उपाय करने हेतु इस आदेश की प्रति केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय तथा भारत सरकार के विधि आयोग को भेजी जाए । ”

1.3 उपरोक्त सिफारिश के आधार पर, भारत के विधि आयोग ने प्रश्न पर विचार करने का विनिश्चय किया ।

1.4 तदनुसार, आयोग ने इस प्रयोजन के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री अजित प्रकाश शहा, अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुश्री उ-ा मेहरा, सदस्य, भारत का विधि आयोग, सुश्री दीपिका जैन, सहबद्ध प्रोफेसर, जिन्दल ग्लोबल विश्वविद्यालय, सोनीपत और श्री सप्तर्नि मंडल, सहायक प्रोफेसर, जिन्दल ग्लोबल विश्वविद्यालय, सोनीपत की एक समिति गठित की ।

1.5 समिति ने वि-नय का व्यापक अध्ययन किया और हिंदू दत्तक तथा भरण-पो-ण अधिनियम, 1956 के उपबंधों तथा शास्त्रीय हिंदू विधि सहित इस बावत सभी प्रासंगिक विधियों का विश्ले-ण किया ।

अध्याय 2
हिंदू दत्तक तथा भरण-पो-ण अधिनियम, 1956 के विद्यमान उपबंध

2.1 हिंदू दत्तक तथा भरण-पो-ण अधिनियम की धारा 18 पत्नी अपने जीवन काल में अपने पति से भरण-पो-ण होने का उपबंध करती है । दूसरी और धारा 19 विधवा पुत्र-वधू अपने श्वसुर से भरण-पो-ण पाने के अधिकार का उल्लेख करती है ।

2.2 अतः, हिंदू दत्तक तथा भरण-पो-ण अधिनियम के अधीन ऐसा व्यक्ति जो अक्षम है, की पत्नी पति के नातेदारों से भरण-पो-ण का ऐसा अधिकार नहीं पाती चाहे पति संयुक्त परिवार का सदस्य है । ऐसी महिला को किसी रूप में भरण-पो-ण पाने का उपलब्ध उपचार केवल या तो अपने पति की संपदा की बावत विभाजन का वाद फाइल करना या भरण-पो-ण के दावे के लिए विवाह-विच्छेद हेतु वाद फाइल करना है । तथापि, ऐसे दोनों अनुक्रमों के लिए हमारे देश में काफी समय लगता है जिसको छोड़कर ऐसी स्थिति वाली महिला को अपने और अपने बच्चों के भरण-पो-ण के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रभावी उपचार नहीं बचता है ।

2.3 इस मुद्दे से निपटने के लिए, इस बावत विधि की व्याप्त स्थिति की संक्षिप्त पृ-ठभूमि का विश्ले-ण करना अनिवार्य है ।

अध्याय 3
संयुक्त हिंदू कुटुम्ब और हिंदू सहदायिकी

3.1 संयुक्त हिंदू कुटुम्ब एक ही पूर्वज से पारंपरिक जात सभी व्यक्ति से मिलकर बनता है और इसके अंतर्गत उनकी पत्नियां और अविवाहित पुत्रियां भी हैं । शास्त्रीय हिंदू विधि के अंतर्गत, संयुक्त हिंदू कुटुम्ब को हिंदू कुटुम्ब की सामान्य स्थिति माना जाता था । यह उल्लेखनीय है कि हिंदू कुटुम्ब की संयुक्तता की धारणा संपत्ति स्वामित्व की संयुक्तता की किसी धारणा से भिन्न है । मुल्ला द्वारा लिखित "हिंदू विधि के सिद्धांत" पुस्तक यह स्प-ट करती है कि "संयुक्त संपदा का अस्तित्व संयुक्त कुटुम्ब गठित करने की आवश्यक अपेक्षा नहीं है और ऐसा कुटुम्ब जिसके स्वामित्व में कोई संपत्ति नहीं है, भी संयुक्त हो सकता है ।"[1] प्राधिकृत निर्णयों में इस बिंदु को इस प्रकार स्प-ट किया गया है : "हिंदू जन्म द्वारा संयुक्त कुटुम्ब की प्रास्थिति प्राप्त करते हैं और संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति संयुक्त कुटुम्ब का मात्र एक अनुलग्नक है ।"[2] तथापि, जहां संपदा संयुक्त है और तत्पश्चात् सदस्यों की संपदा पृथक हो जाती है तो कुटुम्ब संयुक्त हिंदु कुटुम्ब नहीं रह जाता ।

3.2 दूसरी ओर सहदायिकी हिंदू कुटुम्ब से काफी संकीर्ण अवधारणा है । यह केवल उन व्यक्तियों को सम्मिलित करती है जो संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति या सहदायिकी संपत्ति में जन्म से हित अर्जित करते हैं । शास्त्रीय हिंदू विधि में, ये सदस्य संयुक्त संपत्ति के अंतिम धारक के पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र थे । हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के 2005 संशोधन के पश्चात्, सदस्यों में सहदायिकी की पुत्री भी सम्मिलित है। यद्यपि पुत्रियों को अब सहदायिकी में सम्मिलित किया जाता है किंतु माता, पत्नी और पुत्र-वधू जैसे कुटुम्ब के अन्य नारी सदस्य सहदायिकी नहीं है यद्यपि वे संयुक्त कुटुम्ब के सदस्य है । संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति की बावत बाद वाले सदस्यों का सहदायिकी का अधिकार नहीं होता किंतु वे निवास और भरण-पो-ण के सभी सामान्य अधिकार का उपभोग करते हैं जो संयुक्त कुटुम्ब के सदस्य करते हैं ।

---

[1] पृ-ठ 358

[2] **जानकी राम** बनाम **नागमणि** (1926) 49 मद्रास 98.

अध्याय 4
शास्त्रीय हिंदू विधि में भरण-पो-ण का अधिकार

4.1 भरण-पो-ण पर शास्त्रीय हिंदू विधि ऐसी रीति से बनाई गई थी कि संयुक्त कुटुम्ब का कोई सदस्य, विशे-कर नारी सदस्य भरण-पो-ण-रहित न रह जाए । भरण-पो-ण परम कर्तव्य था जो कोई हिंदू ऐसे सभी लोगों के प्रति आभारी था जो उस पर आश्रित थे और जो संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति के क्रेता सहित व्यक्ति और संपत्ति दोनों को आबद्ध करता था ।

4.2 उपरोक्त विचार इस सिद्धांत पर आधारित था कि भरण-पो-ण संयुक्त कुटुम्ब की अवधारणा का अभिन्न अंग है । कुटुम्ब विधि विद्वान् श्री पारस दीवान और पीयूसी दीवान ने भरण-पो-ण के आधार को समझाने के लिए कुटुम्ब जीवन की संयुक्तता की धारणा के महत्व का उल्लेख किया :

> "संयुक्त कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य को संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति से भरण-पो-ण का अधिकार है .....
>
> यह देखना कर्ता का कर्तव्य था कि कुटुम्ब सदस्यों की सभी युक्तियुक्त आवश्यकताएं पूरी हों । यदि कर्ता अपना कर्तव्य पूरा करने में असफल रहता है तो सदस्य विधिक कार्रवाई द्वारा इसे प्रवृत्त करा सकते हैं ।
>
> स्व-अर्जित संपत्ति और सहदायिक के विभाजन के अधिकार की अवधारणा के उद्भवन से भी, भरण-पो-ण ने अपना महत्व नहीं खोया है । बल्कि भरण-पो-ण की अवधारणा और अधिक पुन्पित और पल्लवित हुई है । अब तक अधिकार कतिपय संपत्तियों के प्रति उपलब्ध था किंतु अब यह कतिपय व्यक्तियों के प्रति भी उपलब्ध है ।[3]

4.3 शास्त्रीय हिंदू विधि के अधीन, भरण-पो-ण देने का दायित्व दो स्थितियों में

---

[3] पारस दीवान, और पीयूसी दीवान (1990), भारत में भरण-पो-ण की विधि, नई दिल्ली दीप एंड दीप पृ-ठ, vii-viii

उद्भूत होती है । यह पक्षकारों के बीच संबंध का अनु-ांग है जो भरण-पो-ाण देने की स्वीय बाध्यता का प्रेरक है । दूसरे मामलों में, कुटुम्ब के कतिपय सदस्यों के भरण-पो-ाण का दायित्व अर्थात् विरासत के माध्यम से संपत्ति के कब्जे पर आधारित है । कई विद्वानों ने भी यह उल्लेख किया है कि शास्त्रीय हिंदू विधि ने भरण-पो-ाण के नैतिक और विधिक अधिकारों के बीच विभेद किया ।[4] यदि हिंदू पुरु-ा अपने जीवनकाल के दौरान भरण-पो-ाण करने के अपने नैतिक बाध्यता का पालन नहीं करता तो उसकी मृत्यु पर बाध्यता विधिक बाध्यता में रुपांतरित हो जाएगी जिसे मृतक पुरु-ा की संपत्ति से वसूला जा सकता है । यह स्प-ट करता है कि भरण-पो-ाण की बाध्यता उसकी मृत्यु के पश्चात् भी व्यक्ति से जुड़ी रहती है किंतु वहीं यह शास्त्रीय हिंदू विधि में भरण-पो-ाण से जुड़े महत्व को भी रेखांकित करता है ।

4.4 पत्नी के भरण-पो-ाण के अधिकार के विनिर्दि-ट प्रश्न पर सभी प्रमुख विद्वान और समीक्षक इस पर सहमत हैं कि पत्नी का भरण-पो-ाण करना पति की ''स्वीय बाध्यता'' है जो विवाह से, विवाह संपन्न होने के ऋण से उद्भूत होता है ।[5] पत्नी के भरण-पो-ाण पर शास्त्रीय विधि में विशे-ा स्थिति है, जैसे कि पत्नी के भरण-पो-ाण के इनकार से कुटुम्ब के अन्य सदस्यों के मामलों की तुलना में कठोर परिनिन्दा होती है । विशे-ाकर यहां हमारे प्रयोजन के लिए शास्त्री के सिद्धांत की प्रतिपादना प्रबोधक और सुसंगत है :

ऐसे संबंध की स्थापना स्वतः पत्नी को अपने पति से भरण-पो-ाण का अधिकार, पुत्रवधू को पति के उसके भरण-पो-ाण की असमर्थता की दशा में अपने श्वसुर से भरण-पो-ाण पाने का अधिकार और विधवा को अपने पति की संपत्ति या उन व्यक्तियों से जो

---

[4] पारस दीवान और पीयूसी दीवान (1990), भारत में भरण-पो-ाण की विधि, नई दिल्ली दीप एंड दीप पृ-ठ, 17, अग्रवाल, एस. एन. (1988) कमेंट्री आन ला आफ मेन्टेनेन्स, तीसरा पुनर्विलोकन संस्करण, इलाहाबाद ; ओरियण्ट पब्लिशिंग पृ-ठ 3

[5] पारस दीवान और पीयूसी दीवान (1990), भारत में भरण-पो-ाण की विधि, नई दिल्ली दीप एंड दीप पृ-ठ, 39 : अग्रवाल, एस. एन. (1988) केंद्रीय आन ला आफ मेन्टेनेन्स, तीसरा पुनर्विलोकन संस्करण, इलाहाबाद ; ओरियण्ट पब्लिशिंग पृ-ठ 8 ; शर्मा, प्रीति (1990), भरण-पो-ाण का हिंदू महिला का अधिकार, नई दिल्ली : दीप एंड दीप, पृ-ठ 77 ; गुप्ते, एन. वाई (2001), कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 से संबंधित विधि, तीसरा संस्करण, मुंबई, रवीन्द्र पृ-ठ 153.

उसके पति की संपत्ति के क्रियाकलापों का प्रबंध कर रहे हैं, से भरण-पो-ण का अधिकार उपलब्ध कराती है ।[6]

4.5 उपरोक्त स्थिति न्यायिक विनिश्चयों से भी प्रतिबिंबित होती है । **रमाबाई** बनाम **त्रयम्बक गनेश देसाई**[7] वाले मामले में, हिंदू संयुक्त कुटुम्ब के अविभाजित सदस्य-पति ने पत्नी को अधित्यजित किया था । पत्नी ने पति के नातेदारों से अपने और अपने बालक के भरण-पो-ण के लिए दावा किया । बम्बई उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया :

> "निस्संदेह , प्राधिकारियों ने यह दर्शित नहीं किया कि अधित्यजित पत्नी के संबंधी उसके भरण-पो-ण के स्वीय दायित्व के अधीन है ; किंतु उन्होंने यह दर्शित किया कि वह अपने पति की संपत्ति में उस संपत्ति के एक-तिहाई आगमों तक में से भरण-पो-ण की हकदार है । "

4.6 इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने अपने पति के नातेदारों से भरण-पो-ण पाने के पत्नी के दावे को कायम रखा यद्यपि ऐसा करने की बाद वाले की कोई स्वीय बाध्यता नहीं थी । इस अभिनिर्धारण की विधिमान्यता का उपदर्शन इस तथ्य से होता है कि मेयने की 'हिंदू विधि और प्रथा' की प्रामाणिक पुस्तक में पति के कुटुम्ब के सदस्यों से पत्नी के भरण-पो-ण पाने के स्थापित अधिकार को स्प-ट करने के लिए इस निर्णय को उद्धृत किया गया है ।[8]

4.7 **गोपाल पट्टार** बनाम **पार्वती अम्माल**[9] वाले मामले में उपरोक्त और अन्य समरुप निर्णयों का अनुसरण करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया,

> ..... यदि वह व्यक्तिगत रूप से अपने पति के विरुद्ध यह अधिकार रखती

---

[6] शास्त्री, मधु (1990), हिंदू स्त्री की प्रास्थिति : विधायी रुझान और न्यायिक बर्ताव का अध्ययन, जयपुर : आर.बी.एस. पृ-ठ 171-172.

[7] (1872) 9 बाम्बे एच. सी. 283.

[8] मिश्र, रंगनाथ और विजेन्द्र कुमार (संस्करणों) मेयने की हिंदू विधि और प्रथा, 16वां संस्करण नई दिल्ली : भारत ला हाउस, पृ-ठ 1285.

[9] ए. आई. आर. 1929 मद्रास 47.

है तो यह उसकी संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा प्रवृत्त किया जा सकता है और वह संपत्ति संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति में अविभाजित अंश से मिलकर बनी है । अतः, भार तब तक है जब तक पति जीवित है और प्राप्य वस्तुतः पत्नी को ऐसा फायदा नहीं पहुंचाता है कि वह भार का नि-पादन प्रवृत्त कराने में सक्षम है, किंतु यदि पति की मृत्यु हो जाए या वह फरार हो जाए तो उसका अधिकार काफी क्षीण हो जाएगा क्योंकि वह अब स्वीय बाध्यता को प्रवृत्त नहीं करा सकती और उसे कुटुम्ब और कुटुम्ब संपत्ति के विरुद्ध कार्यवाहियां संस्थित करनी होगी । क्या जो भार लगाया गया है उसके प्रति कोई विधिक आक्षेप नहीं है ।

4.8 उच्च न्यायालय ने संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति में पति के अंश में से परित्यक्त पत्नी को भरण-पो-ण दिए जाने का आदेश दिया ।

4.9 मुल्ला की पुस्तक, "हिंदू विधि के सिद्धांत" जो शास्त्रीय और आधुनिक हिंदू विधि की एक अन्य प्रामाणिक प्रतिपादन है, के भाग 10, अध्याय 2 में मिताक्षरा की ओर ध्यान आकृ-ट किया गया है और निम्नलिखित व्यक्त करता है :

> जब असमर्थता के कारण किसी व्यक्ति को विरासत से अपवर्जित किया जाता है तो वह, उसकी पत्नी और बच्चे ऐसे संपत्ति में से भरण-पो-ण के हकदार है जो वह विरासत में प्राप्त करता किंतु असमर्थता के कारण और जहां उसे विभाजन पर अंश अपवर्जित किया गया है,वहां वह और उसकी पत्नी और उसके बच्चे संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति में से अपने भरण-पो-ण की व्यवस्था किए जाने के हकदार हैं ।[10]

4.10 मुल्ला का आगे यह कहना है कि ऐसी पत्नी का भरण-पो-ण का अधिकार "सशर्त उसके सतत सतीत्व पर निर्भर है ।"[11] कोई भी आगे यह कह सकता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 28 के आधार पर अब किसी को किसी "रोग, कमी या विरुपता" के आधार पर विरासत से निरर्हित नहीं किया जा सकता है ।

---

[10] मुल्ला, हिंदू विधि के सिद्धांत, जिल्द 1 बारहवां संस्कारण (एस.ए. देसाई संस्करण) तीसरा पुनः मुद्रण, 2009, नई दिल्ली, लेक्सिस-नेक्सिस वरवर्थ, पृ-ठ 223.

[11] वही, पृ-ठ 888.

4.11 इस प्रकार, शास्त्रीय हिंदू विधि में श्वसुर को अपनी पुत्र-वधू का भरण-पो-ण करने की विधिक बाध्यता अधिरोपित करने का पर्याप्त आधार है जब बाद वाले का पति ऐसा करने में असमर्थ है । उपरोक्त चर्चा आयोग द्वारा प्रस्तावित विधायी संशोधन को समर्थन प्रदान करती है जो विधि में पुत्र-वधू को भरण-पो-ण देने की श्वसुर की बाध्यता को द्योतित करना चाहती है ।

अध्याय 5

हिंदू दत्तक तथा भरण-पो-ण अधिनियम, 1956 का प्रस्तावित संशोधन

5.1 पूर्वगामी अध्यायों में किए गए विश्ले-ण को ध्यान में रखते हुए, आयोग यह आवश्यक महसूस करता है कि ऐसी हिंदू नारी जिसका पति उसका भरण-पो-ण उपलब्ध कराने में असमर्थ है, के अधिकार को संरक्षित किया जाए और तदनुसार, धारा 18 के अधीन निम्नलिखित उपधारा (4) के अंतःस्थापन की सिफारिश करता है :

> धारा 18(4) - जहां पति शारीरिक असमर्थता, मानसिक विकार, विलुप्तता, किसी धार्मिक व्यवस्था में प्रवेश कर संसार के परित्याग या अन्य समरुप कारणों से अपनी पत्नी का भरण-पो-ण उपलब्ध कराने में असमर्थ है वहां हिंदू पत्नी पति के संयुक्त हिंदू कुटुम्ब के सदस्यों से अपने जीवन काल के दौरान ऐसी दशा के सिवाय जहां पति ने संयुक्त हिंदू संपत्ति में अपना अंश प्राप्त कर लिया है, भरण-पो-ण का दावा करने की हकदार है ।

स्प-टीकरण : इस आधार के प्रयोजन के लिए "मानसिक विकार" पद का वही अर्थ होगा जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(iii) के स्प-टीकरण में है ।"

ह0/-
(न्यायमूर्ति ए. पी. शहा)
अध्यक्ष

ह0/- (न्यायमूर्ति एस. एन. कपूर) सदस्य	ह0/- (प्रो. (डा.) मूलचंद शर्मा) सदस्य	ह0/- (न्यायमूर्ति ऊना मेहरा) सदस्य
ह0/- (डा. एस. एस. चाहर) सदस्य-सचिव	ह0/- (पी. के. मल्होत्रा) पदेन-सदस्य	ह0/- (डा. संजय सिंह) पदेन सदस्य